UPME010090872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2594/2026</u>

प्रशान्त पुत्र कुलदीप, निवासी–ग्राम–पांचली खुर्द, मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–111/2026
अं0धारा–109(1) बी0एन0एस0
थाना–पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री पुष्पेन्द्र त्यागी, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–02.07.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त प्रशान्त की ओर से मुकदमा अपराध सं0–111/2026, अं0धारा–109(1) बी0एन0एस0, थाना–पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 19.11.2019 को वादी की पुत्री रजनी शर्मा की शादी प्रशान्त से हुई थी। प्रशान्त के अवैध संबंध सपना चौधरी से थे, जिस कारण घर में विवाद था। दिनांक 15.04.2026 को उसे पता चला कि प्रशान्त ने रजनी को मारपीट कर हाथ–पैर तोड़ दिये है तथा सिर फाड़ दिया है। आंख पर भी गहरी चोट आयी है। रजनी के बच्चे तीनों को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले गया है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।

- पीड़िता उसकी पत्नी है, जिससे शादी को आठ वर्ष हो चुके हैं और उसके तीन बच्चे हैं।
- इसी अपराध संख्या में अंतर्गत धारा–115(2),151(2),117(2) बी0एन0एस0 में पूर्व में उसकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है। बाद में धारा–109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।
- पीड़िता को उसके शरीर के मर्मस्थल पर कोई चोट नहीं आयी है, जो चोट आयी है, वह साधारण प्रकृति की है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता उसकी पत्नी है और पति–पत्नी के मध्य का प्रस्तुत विवाद है।

9. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार एवं क्रूरता करके उसे गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिससे पीड़िता की मृत्यु सम्भावित थी। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मुकदमें की पैरवी करने वाले पीड़िता के भाई को भी समझौते के लिए धमकी दे रहा है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अपनी पत्नी रजनी को मारपीट कर हाथ–पैर तोड़ने व सिर फाड़ कर आंख पर भी गंभीर चोट पहुंचाये जाने का आरोप हैं।

11. पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर 11 चोटें आना दर्शाया गया है, जिसमें से चोट सं0–6,7,8 व 9 को जेरे निगरानी रखा गया तथा शेष सभी चोटों को साधारण प्रकृति का होना दर्शाया गया है।

12. पीड़िता की रेडियोलोजिस्ट रिपोर्ट में उसके दाये हाथ में फ्रैक्चर होना पाया गया था। मेडिकल कॉलेज की एन0सी0सी0टी0 रिपोर्ट में No significant abnormality is detected पाया गया है।

13. केस डायरी के पर्चा सं0–15 में पीड़िता की पूरक परीक्षण आख्या तैयार किये जाने वाले चिकित्सक के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा कथन किया गया है कि मरीज को दिनांक 28.04.2026 को समय 04.16 बजे सायं ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। भर्ती के समय उसके शरीर पर तीन चोटें थी। मरीज का एक्सरे छाती व एनसीसीटी हैड कराया गया। इसके बाद मरीज का ईलाज दवाईयों व पट्टियों से किया गया था। मरीज को न्यूरोसर्जन को दिखाया गया। मरीज का हड्डी विभाग के डाक्टर शशांक जिंदल से इलाज कराया गया। दिनांक 28.04.2026 को समय 08.30 बजे रात्रि में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया।

14. केस डायरी के पर्चा सं0–9 में डा0 संदीप सिरोही द्वारा कथन किया गया है कि पीड़िता रजनी शर्मा को काफी गंभीर चोटें थी। एक्सरे रिपोर्ट में रजनी शर्मा को बायी पेटीला (घुटने की हड्डी) में फ्रैक्चर तथा बाये कलाई के उलना में फ्रैक्चर तथा सीटी स्कैन में बाएं फ्रंटो टैम्परो पैरिएटल एवं दांए पैरिटो आसिपिटल में सूजन एवं बाए कलाई में दूसरी ओर तीसरी मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर तथा अल्ना के तीसरे शाफ्ट में फ्रैक्चर एवं चौथी उंगली के पोर में फ्रैक्चर/आस्टियोफाईटस था।

15. अभियोजन की ओर से यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी अपनी पत्नी/पीड़िता के साथ मारपीट की गयी थी, जिसके संबंध में उसकी ओर से संबंधित थानों एवं जनसुनवाई केन्द्र में भी

प्रार्थनापत्र दिये गये थे। उक्त कथनों के समर्थन में उनकी ओर से जांच पर्ची इत्यादि की प्रति भी दाखिल की गयी हैं।

16. अभियोजन की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पीड़िता की पैरवी करने वाले उसके भाई की ओर से भी जनपद–मथुरा में एक मुकदमा इस आशय का पंजीकृत कराया गया था कि प्रार्थी/अभियुक्त जो कि उसका जीजा है, प्रस्तुत प्रकरण में सुलह हेतु उसपर दवाब बना रहा है तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

17. वादी, पीड़िता व अन्य साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्त होने का कथन किया गया है।

18. जहां तक इसी अपराध संख्या में अंतर्गत धारा–115(2),151(2),117(2) बी0एन0एस0 में पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का तथ्य है, प्रस्तुत मामले में पति–पत्नी के विवाद में उक्त अपराध में मामले को दर्ज किये जाने से पीड़िता को आयी चोटों की गंभीरता को कमतर आंका जाना न्यायोचित नहीं है। दौरान विवेचना धारा–109(1) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है। पीड़िता को कारित चोटों की प्रकृति से मामले की गंभीरता प्रथमदृष्टया स्पष्ट है।

19. प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है।

20. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

21. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रशान्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 02.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)